

2159  
26/9/16

Telfax-0135-2780122  
Email-ukdirectorminority@gmail.com

## निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड

(अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून, टैलीफैक्स न. 0135-2780122)

पत्रांक २४५/नि.अ.क./अ.छा./ (486)2016-17

दिनांक 19 सितम्बर 2016

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,  
देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर/  
नैनीताल।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
पौड़ी गढवाल/टिहरी गढवाल/रूद्रप्रयाग/  
उत्तरकाशी/चमोली/चम्पावत/अल्मोडा/  
पिथौरागढ/बागेश्वर।

विषय: अल्पसंख्यक प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति/दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं मेरिट कम-मीन्स-छात्रवृत्ति (100 % के0पो0) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गयी NSP 2.0 की Operational Guidelines के संबध में।

उपर्युक्त विषयक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, मंत्रिमडल सचिवालय एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन के द्वारा जारी पत्र संख्या No.1-11011/150/2015-DBT दिनांक 15.07.20 एवं पत्र संख्या F.No. 13/2/2015-SS दिनांक 18.08.2016 का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यक पूर्वदशम, दशमोत्तर एवं मेरिट कम-मीन्स छात्रवृत्ति (100% के0पो0) योजनान्तर्गत NSP पोर्टल 2.0 की Operational Guidelines जारी करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देशों का क्रिन्यावयन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन वित्तीय वर्ष 2016-17 से पूर्णतः ऑनलाइन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबध में यह भी अवगत करना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से पूर्वदशम छात्रवृत्ति(100% के0पो0) योजना का संचालन भी पूर्णतः भारत सरकार के नेशनल स्कालरशिप पोर्टल <http://scholarships.gov.in> द्वारा ऑनलाइन किया जायेगा एवं छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान भी DBT के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के खातों में किया जायेगा।

3. वित्तीय वर्ष 2016-17 से अल्पसंख्यक पूर्व दशम छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं मेरिट कम-मीन्स छात्रवृत्ति (100% के0पो0) योजनाओं हेतु छात्र/छात्राओं का स्वयं का आधार कार्ड एवं सी.बी.एस. बैंक एकाउंट जो कि आधार से लिंक हो अनिवार्य किया गया है। इस हेतु विद्यालयों में जहां छात्र बिना आधार कार्ड के अध्ययन कर रहे हैं वहां जिलाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विशेष अभियान का संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

4. अल्पसंख्यक पूर्व दशम छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं मेरिट कम-मीन्स छात्रवृत्ति (100% के0पो0) योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु संलग्नको को पोर्टल में अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है कि - "Supporting documents of scholarships amount less than Rs 50,000/- be kept at institution level and for scholarships amount more than Rs. 50,000/- may be uploaded on the portal".

Sri Kuldeep Negi  
Circulate all colleges

(Signature)

2/2/16



5. भारत सरकार द्वारा जारी की गयी Guidelines के निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि जनपदों के समस्त शैक्षणिक संस्थानों/महाविद्यालयों/ITA/पॉलिटिकनिक आदि संस्थाओं को ऑनलाइन आवेदन के पश्चात् छात्र/छात्राओं के पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्रों को आवश्यक संलग्नको सहित अपने संस्थानों में जमा कर उनकी ऑनलाइन स्कूटनी तय समयसीमान्तर्गत कर जनपद स्तर पर अग्रसारित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

6. अतः भारत सरकार का पत्र संलग्न कर अनुरोध करना है, कि वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अल्पसंख्यक पूर्व दशम छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं मेरिट कम-मीन्स छात्रवृत्ति (100% के0पो0) योजना का अपने स्तर से जनपद के शैक्षिक संस्थाओं/महाविद्यालयों/ITA/पॉलिटिकनिक आदि संस्थाओं को अवगत कराते हुए व्यापक प्रचार करने का कष्ट करें।


संलग्न यथोक्त।

भवदीय  
(अहमद अली)  
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, सुद्धोवाला, देहरादून।
7. रजिस्ट्रार, हे0न0 बहुगुणा, विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढवाल, पौडी।
8. रजिस्ट्रार, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, टिहरी गढवाल।
9. रजिस्ट्रार, गोविन्द बल्लभ पन्त विश्वविद्यालय, पन्तनगर, ऊधमसिंहनगर।
10. रजिस्ट्रार, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

  
निदेशक।



श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड -249 199  
**Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay**  
Badshahithaul, Tehri Garhwal 249 199

Ref. No.: SDSUV/RO/2015 16/ MEMO

Dated : 25/09/2016

**Copy forwarded for information and necessary action to:**

- 1- All Principal/ Director/ Chairman/ Affiliated Colleges and Institutions.
- 2- P.S to Vice- Chancellor.
- 3- Office Copy.

Registrar